

शिक्षा विभाग  
बिहार सरकार  
आदेश

पटना, दिनांक 12/03/2026

संचिका संख्या-07/मु0-02-65/2024-...../ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०-9416/2019 सत्येन्द्र कुमार ओझा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-04.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-1790 दिनांक-16.10.2024 पर विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये मंतव्य के अलोक में उक्त आदेश को पुनरीक्षित किया जा रहा है।

2. उक्त मंतव्य के क्रम में विभागीय पत्रांक-579 दिनांक-04.02.2026 तथा पत्रांक-680 दिनांक-10.02.2026 द्वारा सुनवाई हेतु सूचना देते हुए क्रमशः दिनांक-09.02.2026 एवं दिनांक-13.02.2026 को श्री ओझा का पक्ष सुना गया।

3. सुनवाई के क्रम में श्री ओझा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बक्सर के कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखा। सुनवाई के उपरांत उनके द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। जिसके माध्यम से श्री ओझा द्वारा निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया है:-

- a) सी०डब्लू०जे०सी० सं०-9416/2019 सत्येन्द्र कुमार ओझा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-04.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1790 दिनांक-16.10.2024 द्वारा उन्हें नियुक्ति तिथि-22.07.2014 द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान अनुमान्य किया गया है।
- b) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम 2001 के अनुसार 03.09.2001 अथवा उसके बाद नियुक्त बी.एड. की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। तदनु रूप बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 एवं अन्य संगत नियमावली के नियम 5 (ड.) में प्रावधान किया गया है।
- c) श्री ओझा का कथन है कि वे वर्ष 2005 में IGNOU से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (DECE) में एक वर्षीय डिप्लोमा व्यावसायिक कार्यक्रम में उत्तीर्णता प्राप्त किये है। साथ ही वर्ष 2019 में NIOS से प्रारंभिक शिक्षकों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (PDPET) 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण किये है। साथ ही अवगत कराया गया है कि बी.एड. शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए आवश्यक शिक्षण कौशल करना इन दोनों व्यावसायिक कार्यक्रम का उद्देश्य है। यह शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप है और प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अनिवार्य है।
- d) याचिका संख्या-14652/2012 क्रांति कनक एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में विभागीय संकल्प संख्या-455 दिनांक-30.03.2019 द्वारा दो






वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण एवं 6 माह के व्यावसायिक कार्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले शिक्षकों को दो वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री ओझा द्वारा नियुक्ति तिथि के पूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण (बी.एड.) तथा IGNOU से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (DECE) में एक वर्षीय डिप्लोमा व्यावसायिक कार्यक्रम एवं नियुक्ति के उपरांत वर्ष 2019 में NIOS से प्रारंभिक शिक्षकों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (PDPET) 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के कारण नियुक्ति तिथि-22.07.2014 से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. वस्तुस्थिति यह है कि वादी द्वारा पूर्व में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-19185/2018 दायर किया गया था। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-03.10.2018 को न्यायादेश पारित करते हुए वादी के अभ्यावेदन को निस्तारित किये जाने का निदेश दिया गया था। उक्त आदेश दिनांक-03.10.2018 के अनुपालन हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक-38 दिनांक-09.01.2019 पारित किया गया था। अंकनीय है कि उक्त विभागीय आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०-9416/2019 में दिनांक-04.03.2024 को पारित न्यायादेश में इस निदेश के साथ रद्द किया गया था कि वादी के मामले की सुनवाई एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 में पारित न्यायादेश के आलोक में की जाय।

6. सी०डब्लू०जे०सी० सं०-9416/2019 में दिनांक-04.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वादी को सुनवाई का मौका देते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक-1790 दिनांक-16.10.2024 पारित किया गया था। अंकनीय है कि उक्त विभागीय आदेश द्वारा वादी के मामले को एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 में पारित न्यायादेश के सदृश्य मानते हुए उन्हें नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान्य किया गया था।

7. उक्त आदेश की विभागीय आंतरिक समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई की वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के वादीगणों से भिन्न है। इन दोनों में कोई भी सदृश्यता नहीं है। प्रस्तुत वाद के वादी का नियोजन वर्ष 2014 में बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 के अंतर्गत किया गया जबकि एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के वादीगणों की नियुक्ति वर्ष 1999 से 2005 के बीच बिहार प्रारंभिक नियुक्ति नियमावली, 1991 (यथा संसोधित) के अंतर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किया गया था। वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय जिसके उपरांत इनके वेतनमान में वृद्धि किया जाना था। किन्हीं कारणों से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुछ शिक्षकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण में देर से भेजा गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में विलम्ब हुआ था। यह बात एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 में पारित न्यायादेश दिनांक-27.09.2016 से स्पष्ट है। इन वादीगणों को विलम्ब से वर्ष 2007-2009 तथा 2008-2010 में प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया था जिसके कारण इनका प्रशिक्षण 2010 एवं 2011 में पूर्ण हो पाया। सामान्यतः प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाना था परन्तु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा उक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम





पर खेद जताया गया था जिसके उपरांत दिनांक-01.07.2011 को यह निर्णय लिया गया कि सभी डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को छः माह का विशेष समृद्ध कोर्स कराया जाय।

8. माननीय न्यायालय द्वारा न्यायादेश दिनांक-27.09.2016 में यह बात अंकित की गई कि संबंधित वादीगण को अग्रतर विलंब करते हुए वर्ष 2014 में छः माह का विशेष समृद्ध कोर्स कराया गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में और भी विलंब हुआ जिसमें संबंधित वादीगणों का कोई दोष नहीं था। अंततः इन वादीगणों को वर्ष 2014 में प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा यह बात भी विशेष तौर पर अंकित की गई कि इन वादीगणों का कोई दोष न होने के कारण नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुरूप वरीयता का भी नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में संबंधित वादीगणों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सरकार द्वारा किये गये विलंब के आधार पर इन वादीगणों के मामले में डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के आशय का न्यायादेश पारित किया गया था। यह न्यायादेश केवल संबंधित वादीगणों के विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर पारित किया गया था तथा यह आदेश सामान्य रूप से सभी मामलों में लागू नहीं होता है।

9. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी श्री ओझा जिनकी नियुक्ति वर्ष 2014 बी.एड. अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक के रूप में किया गया था तथा नियुक्ति के उपरांत इन्हें अप्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान दिया जा रहा था। बी.एड. अर्हता होने के पश्चात् वादी की नियुक्ति कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के रूप में NCTE की अधिसूचना दिनांक-23.08.2010 के आलोक में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधानित था कि बी.एड. योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। उक्त अधिसूचना दिनांक-23.08.2010 को NCTE की अधिसूचना दिनांक-28.06.2018 द्वारा संशोधित किया गया परन्तु बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को छः माह का सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा किये जाने का शर्त निर्धारित किया गया था।

10. NCTE द्वारा किये गये प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 में नियुक्त किये जाने के क्रम में उन्हें छः माह का विशेष सेतु पाठ्यक्रम पूरा किया जाना आवश्यक है तथा NCTE की यह मंशा नहीं थी कि बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थी केवल बी.एड. योग्यता के आधार पर ही कक्षा 1 से 5 में पठन-पाठन हेतु नियुक्त किये जाय। बी.एड. डिग्री को डी.पी.ई. अथवा डी.एल.एड. के समरूप नहीं माना गया है। नियमावली 2012 में यह कहीं भी प्रावधानित नहीं है कि छः माह का संवर्द्धन कोर्स कर लेने के उपरांत संबंधित बी.एड. योग्यताधारी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक को नियुक्ति की तिथि अथवा बी.एड. योग्यता प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।

11. वादी के मामले में विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वादी का दावा प्रशिक्षणचर्या कार्यक्रम में विभाग द्वारा नामांकित कराये जाने के क्रम में हुए विलंब के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा कोई विलंब परिलक्षित भी नहीं होता है। वादी द्वारा उनके समरूप किसी कनीय शिक्षक को उनके पूर्व प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किये जाने का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वादी द्वारा उनका मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के



7

वादीगणों के समरूप होने का दावा किया गया जो कि आधार विहीन है। एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 में पारित आदेश विशेष परिस्थिति में केवल संबंधित वादीगणों के मामले में लागु होता है न कि अन्य मामलों में।

12. उक्त परिप्रेक्ष्य में वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के सदृश्य नहीं है तथा वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के विशेष परिस्थिति में दिये गये निर्देश या लाभ से आच्छादित नहीं है।

अतएव उक्त अभिमत के साथ विभागीय आदेश ज्ञापांक-1790 दिनांक-16.10.2024 को पुनरीक्षित कर वादी के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

(विक्रम विक्रम)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक-07/मु0-02-65/2024.....1017.....पटना, दिनांक.....12/03/2026

प्रतिलिपि:- Satyendra Kumar Ojha Son of Baidnath Ojha R/o Village-Badka Tola, Ward No. 1, Kharhatand, P.S. Simri, District-Buxar

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-07/मु0-02-65/2024.....1017.....पटना, दिनांक.....12/03/2026

प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-07/मु0-02-65/2024.....1017.....पटना, दिनांक.....12/03/2026

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।